न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री जे. पी. बैरवा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 37/2017

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. अणदाराम पुत्र रावतराम जाति–कुमावत, निवासी–निमाज तह0–जैतारण, जिला–पाली		1. रुकमाबाई पत्नि मोहनलाल 2. ओमप्रकाश पुत्र मोहनलाल 3. गिरधारी पुत्र मोहनलाल 4. चम्पालाल पुत्र रतनलाल 5. मधूसूदन पुत्र रामेश्वरलाल जातियान–ब्राह्मण, निवासीगण–निमाज तह0–जैतारण, जिला–पाली 6. तहसीलदार, जैतारण तह0–जैतारण, जिला–पाली

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.23/02/2017

उपस्थित:. 1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादी।

दिनॉकः– 27/03/2018

–:: निर्णय ::–

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि राजस्व मौजा–निमाज, पटवार हल्का–निमाज–प्रथम, तहसील–जैतारण वादी एवं प्रतिवादीगण की शामलाती खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 1244 रकबा 1–15 बीघा किस्म चाही प्रथम की आई हुई है। जिसमें वादी के 1/4 वें हक हिस्से भूमि की आई हुई है जिसका वादी काबिज खातेदारी काश्तकार है। नकल चालू जमाबंदी इस आराजी की वादपत्र के पेश हैं। इस आराजी को वादपत्र में आगे विवादित आराजी के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा। वादी व प्रतिवादीगण की उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में तो शामलाति दर्ज है लेकिन मौके पर आपसी सहमति से अलग अलग बंटी हुई है। इसी माफिक वादी अपने हक व हिस्से की भूमि पर काबिज होकर के काश्त करवा रहा है। वादी अब अपने हक हिस्से की इस भूमि का भूरूपान्तरण करवाना चाह रहे है। परन्तु भूमि प्रतिवादीगण के शामलाति दर्ज होने की वजह से वादी की भूमि का भूरूपान्तरण नहीं हो पा रहा है। इस बाबत वादी ने प्रतिवादीगण से कई बार आपसी सहमति से इस भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के कोई बंटवाडा कराने का कहा लेकिन प्रतिवादीगण इससे सहमत नहीं है तथा वादी द्वारा बंटवाडा व तरमीम का बार बार कहने के बावजूद प्रतिवादीगण नहीं मान रहे है। एवं दिनांक 15/02/2017 को प्रतिवादीगण ने इस भूमि का बंटवाडा करवाने से इन्कार कर दिया है। जिस पर वादी की और से यह वादपत्र बाबत् बंटवाडा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश। वादग्रस्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण की मौके पर आपसी सहमति से बंटी हुई है तथा वादी के हिस्से की भूमि के चारो तरफ पक्की चार दिवारी की हुई है। लेकिन अब प्रतिवादीगण की नियत खराब होने से वह वादी को उनके हिस्से की भूमि से बेदखल करने एवं कब्जा काश्त में दखलंदाजी करने को आमादा है। यदि प्रतिवादीगण ऐसा दुष्कृत्य करने में सफल हो जाते है तो वादी अपनी हक हिस्से की भूमि हमेशा हमेश के लिये वंचित होना पड़ेगा जिससे वादी को अपूर्णीय क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभन नही हो सकेगी। वादीगण व प्रतिवादीगण के ऐसे अवैध कृत्यों का विरोध

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

करेगा। जिससे विवाद बढ़ेगा व मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी, तब ऐसी विषम परिस्थितियों में वादी के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह वादपत्र बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। प्रतिवादीगण संख्या 6 तहसीलदार जी जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि है। जो बंटवाड़ा के वाद में आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाये गये है। बिनायवाद दिनांक 15/02/2017 को प्रतिवादीगण द्वारा वादी के हक से हिस्से की आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा कराने से स्पष्ट ईन्कार करने व कब्जा काश्त में दखलंदाजी करने पर बमुकाम-ग्राम-निमाज व तहसील-जैतारण, जिला-पाली में उत्पन्न होता है, जो अन्दर म्याद व श्रीमान के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 व 6 को बावजूद तामिली / सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प अटल सेवा केन्द्र-निमाज में पेश हुई। मजमा-ए-आम में जानकारी प्राप्त की गई। मजमा-ए-आम में ही प्रतिवादी संख्या 2 ने प्रार्थना पत्र पेश किया कि उक्त अनवान के विचाराधीन वाद में हमारी संयुक्त शामलाती खातेदारी कृषि भूमि का मौके पर काबिज अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करवाया जावें तो हम सहमत हैं। प्रार्थना पत्र सा0मि0 किया गया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र मय शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादी एवं प्रतिवादीगण राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज हैं। उभय पक्षकारान् अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस तकासमा चाहते हैं। लिहाजा पक्षकारानों में वादी की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के बंटवाड़ा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवाड़ा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि राजस्व मौजा-निमाज, पटवार हल्का-निमाज-प्रथम, तहसील-जैतारण में वादी एवं प्रतिवादीगण की शामलाती खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 1244 रकबा 1-15 बीघा किस्म चाही प्रथम जो राजस्व रेकर्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती व कब्जे काश्त की हैं, बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बॉउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग-अलग दर्शाकर पत्थरगढ़ी /नेखमबन्दी करवाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2017/1007 दिनांक 04/09/2018 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/2018/1230 दिनांक 14/03/2018 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस वकील वादी सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकील वादी एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि राजस्व मौजा-निमाज,

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

पटवार हल्का-निमाज-प्रथम, तहसील-जैतारण वादी एवं प्रतिवादीगण की शामलाती खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 1244 रकबा 1-15 बीघा किस्म चाही प्रथम की आई हुई है। जिसमें वादी के 1/4 वें हक हिस्से की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	अणदाराम पुत्र रावतराम कौम कुमावत सा0 देह खातेदार	1244	0-08-00	चा0दो0	1.70 रू.
2	रूकमाई पत्नि मोहनलाल ओमप्रकाश गिरधारीलाल पि0 मोहनलाल 12/27 हि0 मधुसूधन पुत्र रामेश्वरलाल 12/27 हि0 चम्पालाल पुत्र रतनलाल 03/27 हि0 कौम ब्राहम्ण सा0 देह खातेदार।	1244/1	1-07-00	चा0दो0	5.74 रू.

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा मय बंटवाड़ा रिपोर्ट की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 27/03/2018 को रसरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला-पाली (राज0)

Scanned by CamScanner